न्यायालय उपखण्डाधिकारी नगर जिला भरतपुर

वाद संख्या- 231/08

दायर दिनांक 15.10.08

पीठासीन अधिकारी- घनश्याम अग्रवाल, उपखण्डाधिकारी नगर

प्रकाश चन्द्र आदि बनाम राजस्थान सरकार

1. प्रकाश चन्द
2. प्रेमचन्द

पुत्रान कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी व ग्राम फतेहपुर कलाँ तहसील नगर वलिद व काबिज आराजी वारिसान मनोहरी वल्द ज्वालीराम- वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नगर- प्रतिवादी

- दावा डिक्री डिक्लेरेशन खातेदारी काश्त खातेदारी व हुक्म इस्तनाई दवामी

उपस्थित- 1. श्री श्याम बाबू सैनी, विद्वान अभिभाषक वादी
2. " नायब तहसीलदार नगर, प्रतिनिधि प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक- 30.7.2013.

पत्रावली पेश हुई। सावधानीपूर्वक आद्योपान्त अवलोकन किया तथा मनन किया। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.10.2008 को यह दावा इस आशय का संस्थित किया कि ग्राम फतेहपुर कलाँ तहसील नगर जिला भरतपुर की आराजी खसरा नम्बरान 295 रकबा 0.70 हैक्टर का 13/95 का 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.39 हैक्टर का 16/55 हिस्सा, ख.नं. 299 रकबा 0.32 हैक्टर का 7/42 का 1/2 हिस्सा, 306 रकबा 0.28 हैक्टर का 13/35 हिस्सा, 330 रकबा 0.57 हैक्टर का 27/72 हिस्सा, जो बन्दोबस्त से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 198 रकबा 13 बिस्वा, 394 रकबा 16 बिस्वा, 194 रकबा 7 बिस्वा, 204 रकबा 12 बिस्वा, 399 रकबा 01 बीघा 7 बिस्वा, से निर्मित हुये हैं। विवादित भूमि वादीगण के पूर्वज मनोहरी वल्द ज्वालीराम के कब्जेकाश्त खातेदारी की थी। जिस पर वह संवत 2012 के पूर्व से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 प्रभावी होने के समय मनोहरी का नाम राजस्व रेकार्ड में काश्तकार दर्ज है। अतः धारा 15 व 19 राज. काश्त. अधि. के अनुसार वह स्वमेव खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो चुका था। लेकिन [illegible] लापरवाही से उसे रेकार्ड में खातेदार दर्ज नहीं किया [illegible] की दिनांक 21.12.1976 को मृत्यु हो चुकी है [illegible] 1.7.1989 को उप पंजियक नगर से रजिस्टर्ड [illegible] भूमि की वसीयत [illegible] हक में कर दी। जिस पर वह मनोहरी [illegible] मृत्यु के बाद से काबिज [illegible] काश्त कर रहे हैं। तथा विवादित भूमि के लिए डिक्री डिक्लेरेशन खातेदारी पाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी व उसके प्रतिनिधि बिना वजह वादीगण को

क्रमशः : पृष्ठ- 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
नगर [भरतपुर] राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायलय श्रीमान एस॰डी॰ओ॰ साहब, नगर (भरतपुर)

विषय:- मु॰नं॰ 231/08 व उनवानी प्रकाशचंद प्रेमचंद पि॰ कल्लूलाल
बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नगर
दावा बाबत डिक्लेरेशन कायमी काश्त खातेदारी

महोदय, जवाब दावा मिनजानिब पेशकार सरकार निम्न प्रकार श्रीमान की सेवामें पेश है-

(1) यह है कि दावा की मद संख्यां 1 वादी स्वयं सिद्ध करें।
(2) यह है कि दावा की मद संख्यां 2 हाल रिकार्ड जमाबंदी सं॰2063-66 के आंशिक स्वीकार है शेष स्वीकार नहीं है क्योंकि दावे के साथ मिलान क्षेत्रफल या खसरा फर्द शामिल नहीं है।
(3) यह है कि दावा की मद सं॰ 3 रिकार्ड के अभाव में स्वीकार नहीं है।
(4) यह है कि दावा की मद सं॰ 4 स्वीकार नहीं है। विशेष कथन में इस बाबत खुलासा किया जा रहा है।
(5) यह है कि दावा की मद सं॰ 5 स्वीकार नहीं है। खुलासा विशेष कथन में किया जा रहा है।
(6) यह है कि दावा की मद सं॰ 6 स्वीकार नहीं है। दावा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के विरुद्ध पेश किया गया है दावा दायर करने से पूर्व 80 CPC का नोटिस दिया जाना आवश्यक था जो नहीं दिया गया है।
(7) दावा की मद सं॰ 7 स्वीकार नहीं है।
(8) दावा की मद सं॰ 8 स्वीकार नहीं है क्योंकि वादी गण को कोई विनाय मुखासमत प्रतिवादी की ओर पैदा नहीं हुई है।
(9) यह है कि दावा की मद सं॰ 9 कोर्ट फीस व तलबाना से सम्बन्धित है जो स्वीकार नहीं है क्योंकि वादी द्वारा कोर्ट फीस व तलबाना व्यर्थ ही खर्च की है।
(10) मद सं॰ 10 की उपमद अ व स स्वीकार नहीं है। खुलासा विशेष कथन मे किया जा रहा है।

विशेष-कथन

1) यह है कि वादी द्वारा वाद पत्र की मद संख्यां 2,3 की पुष्टि हेतु कोई खसरा फर्द या मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है जिससे हाल खसरा नम्बर किस सालिक खसरा नम्बर से मिलकर बने है, यह ज्ञात नहीं होता। ऐसी स्थिति में रिकार्ड के अभाव में दावा वादी खारिज योग्य है।

(2) यह है कि वादी द्वारा वाद पत्र की मद संख्यां 4 में आराजी [illegible] वसीयत [illegible] वादीगण के हक मुतदाविया की बाबत एक वसीयत [illegible] के साथ संलग्न में दिनांक 1.7.84 की रजिस्टर्ड होना अंकित [illegible] वसीयतनामा में ऐसा कोई खुलासा [illegible] होना सिद्ध करता हो। अतः यह नहीं [illegible] वसीयतनामा बहक वादीगण उक्त आराजी का ही हुआ है।

यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि आराजी गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 39 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि खातेदार अभिधारी ही वसीयत कर सकता है। इस प्रकार गैर खातेदारी लेबे पर वसीयत प्रभावी नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अतः निवेदन है कि ऐसी स्थिति में वादी के ...
बाद वकत् प्रतिवादी गण हर्जा खर्चा खारिज ...
जाने योग्य है। अतः दावा वादी खारिज करवाया ...

पेश...

दि० 22-1-09

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

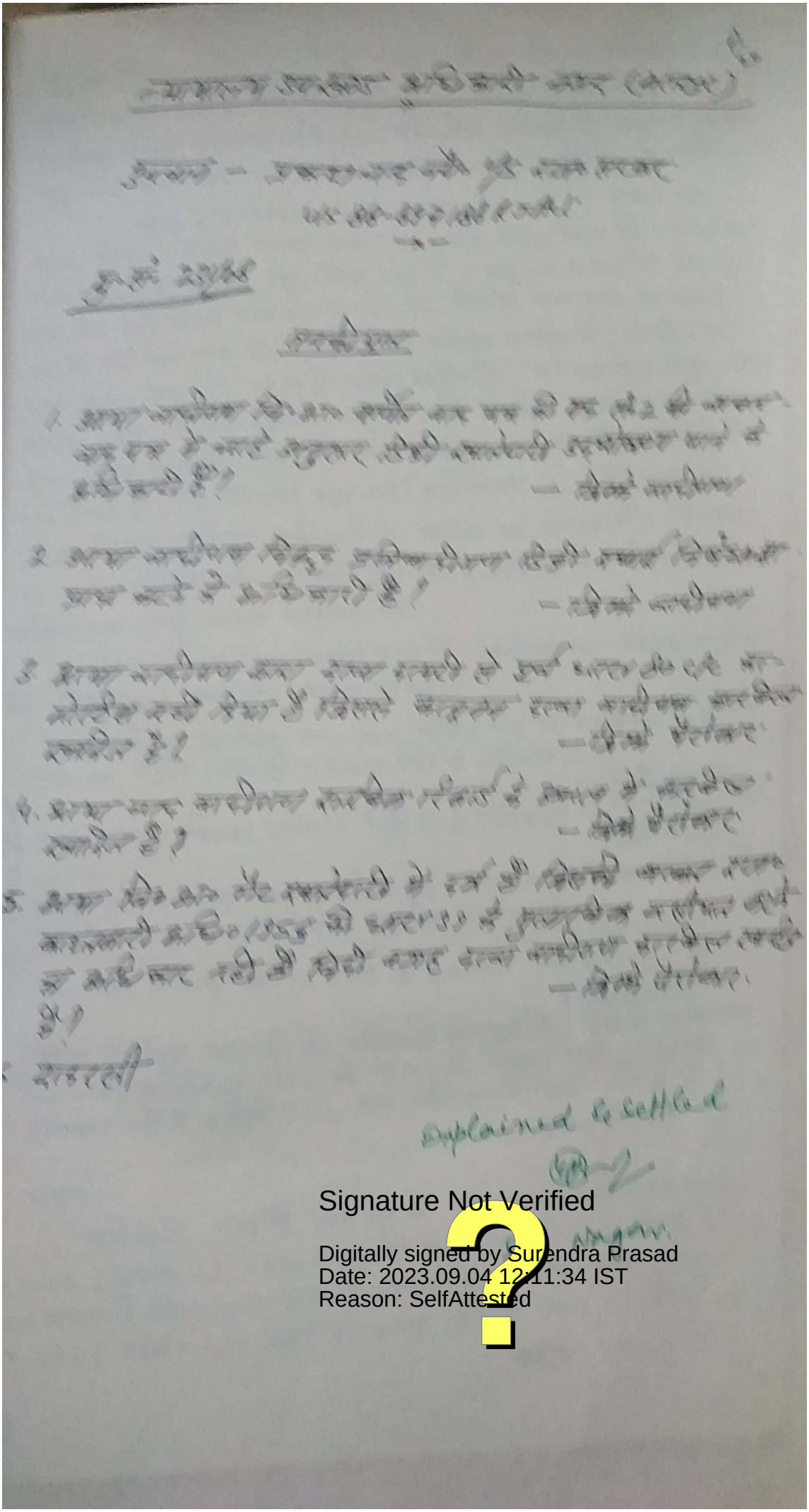

[illegible] (...)

[illegible] — [illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible] है। — [illegible]

2. [illegible] है। — [illegible]

3. [illegible] है। — [illegible]

4. [illegible] है? — [illegible]

5. [illegible] है। — [illegible]

6. [illegible]

Explained & settled

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तंग व परेशान करते हैं। विदी वजह वादीगण, विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री हुक्मइम्तनाई दवामी पाने के अधिकारी हैं। अंत में निवेदन किया कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे तथा विवादित आराजी से मनोहरी का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्साबराबर खातेदार घोषित किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कराया जाकर प्रतिवादी को सम्मन द्वारा तलब किया। उन्होंने जवाब दावा इस प्रकार प्रस्तुत किया कि वादीगण द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। कानूनन सरकार के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। जो नहीं दिया गया है। जिससे दावा काबिल खारिज है। वादीगण का दावा साबिक रेकार्ड के अभाव में काबिल खारिज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 1.7.89 में ऐसा खुलासा नहीं है, जो विवादित भूमि बाबत वसीयत होना सिद्ध करता हो। यह और कि विवादित आराजी गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है, और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 अनुसार केवल खातेदार अभिधारी ही वसीयत कर सकता है। गैरखातेदार को वसीयत करने के अधिकार नहीं हैं। अंत में निवेदन किया है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा वादीगण एवम् जवाब दावा के अवलोकन कर दिनांक 20.8.10 को निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई –

1- आया वादीगण विवादित आराजीयात, वर्णित वाद पत्र मद संख्या-2, मुताबिक वादपत्र, डिक्री खातेदारी उद्घोषणा पाने के अधिकारी है ?,
— जिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ?
— जिम्मे वादीगण
3. आया वादीगण द्वारा दावा दायरी से पूर्व धारा 80 जा.दी. का नोटिस नहीं देने से, कानूनन दावा वादीगण काबिल खारिज है।
— जिम्मे प्रतिवादी
4. आया वाद वादीगण साबिक रेकार्ड के अभाव में काबिल खारिज है।
— जिम्मे प्रतिवादी
5- आया विवादित आराजी गैर खातेदारी में दर्ज है। जिसकी बाबत राज. काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-39 अनुसार वसीयत करने का अधिकार नहीं है। विदी वजह दावा वादीगण काबिल खारिज है ?
— जिम्मे पैरोकार
6. दादरसी।

वादीगण ने वाद के समर्थन में [illegible] संवत 2063 से 2066 (प्रदर्श-1) नकल जमाबन्दी संवत 2017 से 2020 (प्रदर्श-2) नकल जमाबन्दी संवत 2024 से 2027 (प्रदर्श-3) वसीयतनामा दिनांक 1.7.1989 (प्रदर्श-4), मृत्यु प्रमाण पत्र मनोहरी वल्द ग्यारसीराम

क्रमशः पृष्ठ-3 पर

अधिकारी
[illegible] राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

(प्रदर्श-5) नकल खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 (प्रदर्श-6), नकल जमाबन्दी 2009 से 2012 (प्रदर्श-7), नकल खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2011 (प्रदर्श-8), नकल खसरा फार्म किता-4 (प्रदर्श-9) दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं। तथा मौखिक साक्ष्य में वादी प्रेमचंद PW-1, प्रकाशचंद PW-2, गवाह महीपा PW-3, धायराम PW-4 के बयान कराये हैं। प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

हमने दिनांक को विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं प्रतिनिधि सरकार की बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने बहस का प्रारंभ करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि मनोहरी वल्द ज्याही ब्राह्मण के कब्जे काश्त की भूमि है। जमाबन्दी सं. 2017 से 20 एवं जमाबन्दी संवत 2024 क्रमशः Ex-2 व Ex-3 में क्रमशः साल. 21 व साल-25 और खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रारम्भ होने से पूर्व ही मनोहरी गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 15 व 19 अनुसार, 15.10.1955 के पूर्व ही काबिज होने के कारण, स्वतः ही मनोहरी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने इसके समर्थन में RRD-1988 P-133, RRD-1989 P. 651, RRD-1990-P-629, RRD-2003 P. 274, RRD. 2006 P-73 HC, RBJ-2001 P-435 प्रस्तुत की। उन्होंने वसीयत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वादीगण के पक्ष में मनोहरी द्वारा दिनांक 1.7.1989 को रजिस्टर्ड वसीयत करदी है। जो अंतिम वसीयत है। वसीयत-कर्ता मृत्यु के पूर्व तक भूमि पर काबिज रहा है। तथा उसकी मृत्यु दिनांक 21.12.1996 के बाद से वादीगण बहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को वसीयत कर्ता मनोहरी के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिनिधि सरकार ने बहस में वादीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी पर मनोहरी आज भी गैर खातेदार दर्ज है। तथा कानूनन गैर खातेदार को वसीयत करने का अधिकार नहीं है। वसीयत में वसीयत की गई आराजी बाबत कोई खुलासा नहीं किया गया है। वसीयत की गई सम्पत्ति का कब्जा भौतिक रूप से [illegible] हस्तान्तरण हो गया है। वसीयत प्राप्त कर्ता को दे दिया है। अतः [illegible] यदि से पूर्व मनोहरी लगातार काबिज भूमि [illegible] धारा 80 जा.दी. का नोटिस [illegible] : दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर सावधानी पूर्वक मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात व नजीरात का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। तनकीवार

क्रमशः पृष्ठ-4 पर---

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:34 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
...पुर] राज.

Scanned by CamScanner

निर्णय निम्नानुसार किया जाता है-

<u>तनकी नं. 1 व 2-</u>

इन तनकीयात को साबित करने का भार वादीगण का है। जिस जिनमें वादीगण ने ग्राम फतेहपुरकलां की आ.नं. 295 रकबा 0.70 हैक्टेयर का 13/95 हि., 298 रकबा 0.39 हैक्टेयर का 16/55 हि., 299 रकबा 0.32 हैक्टेयर का 7/42 का 1/2 का 1/2, 306 रकबा 0.28 हैक्टेयर का 13/35 हि., 330 रकबा 0.57 हैक्टेयर का 27/72 हि. हि., 306 रकबा 0.28 हैक्टेयर का 13/35 हि., 330 रकबा 0.57 हैक्टेयर का 27/72 हि. के हिस्से की आराजी स्वयं को अर्थात मनोहरी वल्द ग्याही जाति ब्राह्मण के हिस्से की आराजी खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। वसीयतनामा दिनांक ब हिस्सा बराबर खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है। वसीयतनामा दिनांक 1.7.1989 प्रदर्श 4 के अवलोकन से सिद्ध होता है कि मनोहरीलाल ग्याली कौम ब्राह्मण ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति बाके ग्राम फतेहपुरकलां तह. सीकर नगर पर वादीगण प्रकाशचन्द व प्रेमचन्द पिसरान नन्दकुमार कौम ब्राह्मण नि. फतेहपुर कलां के पक्ष में वसीयत करने का इकरार करते हुये पंक्ति संख्या 10 व 11 में अंकित किया है कि "..... मेरी जायदाद मनकूला का मेरे जीते जी मैं मालिक रहूंगा तथा मेरे मरने के बाद प्रकाशचन्द व प्रेमचन्द मालिक होंगे। ....." ग्राम पंचायत फतेहपुरकलां द्वारा दिनांक 21.5.1998 को जारी मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदर्श-5 के अनुसार मनोहरी पुत्र ग्याली की मृत्यु दिनांक ~~21.12.198~~ 21.12.1996 को होना प्रमाणित है। इस प्रकार मृतक मनोहरी की ग्राम फतेहपुरकलां स्थित समस्त ग्यारह अचल सम्पत्ति पर उसकी मृत्यु के दिनांक 21.12.1996 के पश्चात से वादीगण ही काबिज हैं। जिसकी पुष्टि बयान वादीगण एवं गवाहान PW-3 व PW-4 से होती है। नकल जमाबन्दी संवत 2063 से 2066 प्रदर्श-1 के अनुसार आ.ख.नं. 295 रकबा 0.70 अन्य हिस्सेदारान प्रेमचन्द वगैरह के साथ-साथ "हरीराम रुडाराम रामजीत पि. सुखी, मनोहरी वल्द ग्यासिया बहिस्सा बराबर 13/95 कौम ब्राह्मण सा.देह गैरखातेदार" खत-45 दर्ज है। आ.नं. 299 रकबा 0.32 पर अन्य हिस्सेदारान के साथ साथ "सुखी मनोहरी पि. ग्यासिया 7/42 गैर खातेदार कौम ब्राह्मण सा.देह दर्ज है। आ.नं. 330 रकबा 0.57 हैक्टेयर पर अन्य हिस्सेदारान के साथ साथ सुखी मनोहरी पुत्रान ग्यासिया 27/72 गैर खातेदार दर्ज है। आ.नं. 298 रकबा 0.39 पर अन्य हिस्सेदारान के साथ-साथ "हरीराम रामजीत रुडाराम पि. सुखी व मनोहरी वल्द ग्यासिया कौम ब्राह्मण सा.देह गैरखातेदार 16/55 हि. दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार आ.नं. 306 रकबा 0.28 है. पर अन्य हिस्सेदारान के साथ-साथ "हरीराम रामजीत रुडाराम पि. सुखी व मनो[illegible] ग्यासिया कौम ब्राह्मण सा.देह गैरखातेदार हि. [illegible] इस प्रकार इन्तकालानुसार भूमियों पर वसीयतकर्ता मनोहरी [illegible] खातेदार दर्ज होना साबित होता है। नकल खसरा पत्रक भू-प्रबन्ध विभाग संवत 2028 प्रदर्श-9 के अनुसार साबित व वाद ग्रस्त नम्बरान की स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट होती है-

क्रमशः पृष्ठ- 5 पर

अधिकारी
[illegible]पुर] राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हाल खसरा नम्बर व किस्म	साबिक खसरा नम्बर व रकबा बीघा - बिस्वा	खसरा पंचसाला के कालम नं. 24 में दर्ज नाम काश्तकार वर्तमान
295 - 0.70	$\frac{255}{1-05}$ $\frac{201}{1-07}$ $\frac{198}{0-13}$ $\frac{199}{0-14}$ $\frac{200}{0-16}$	सुरखी मनोहरी पि० ज्ञानी 13/95 गैर खातेदार साल-25 व अन्य
298 - 0.39	$\frac{392}{1-02}$ $\frac{393}{0-17}$ $\frac{394}{0-16}$	हरीराम-रामावतार रामजीत पि० सुरखी मनोहरी पि० ज्ञानिया कौम ब्राह्मण खातेदार 39/55 व गैर खातेदार 16/55
299 - 0.32	$\frac{194}{0-07}$ $\frac{195}{0-14}$ $\frac{196}{1-01}$	सुरखी मनोहरी पि० ज्ञानिया गैर खातेदार कब्जा काश्त साल 25 शिवराम 7/42 हिस्सा व अन्य
306 - 0.28	$\frac{204}{0-12}$ $\frac{205}{0-11}$ $\frac{206}{0-12}$	सुरखी मनोहरी पि० ज्ञानिया 14/35 पहिया, कौम ब्राह्मण सा० देह गैर खातेदार साल-25 व अन्य
330 - 0.57	$\frac{399}{0-07}$ $\frac{400}{1-03}$ $\frac{401}{1-02}$	सुरखी मनोहरी पि० ज्ञानिया कौम ब्राह्मण सा० देह खातेदार 23/72 व गैर खातेदार 27/72 हि० व अन्य

नकल जमाबंदी संवत 2017 से 2020 प्रदर्श-2 में साबिक आ० ख० नं० $\frac{191}{0-09}$ $\frac{194}{0-07}$ $\frac{198}{0-13}$ $\frac{204}{0-12}$ $\frac{234}{0-12}$ $\frac{243}{0-03}$ $\frac{250}{0-04}$ $\frac{258}{0-10}$ $\frac{394}{0-16}$ $\frac{399}{1-07}$ किता-10 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा की बाबत "सुरखी व मनोहरी सिसरान ज्ञानिया कौम ब्राह्मण सा० देह बहिस्सा बराबर गैर खातेदार साल-21 अंकित होना पाया जाता है। नकल जमाबन्दी संवत 2024 प्रदर्श-3 में भी उक्तानुसार इन्द्राज किए जाकर गैर खातेदार साल-25 दर्ज होना पाया जाता है। उक्त से यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है कि वसीयतकर्ता मनोहरी का विवादित भूमि पर संवत 2003 से ही कब्जा काश्त रहा है।

हम वादीगण के इस तर्क से सहमत हैं कि वादीगण के पूर्वज वसीयतकर्ता मनोहरी का विवादित भूमि के उक्त विवेचन अनुसार भाग पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने अर्थात दिनांक 15.10.1955 के पूर्व से ही कब्जा काश्त होने की दशा में उसको स्वत: ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय RRD-1988 पृष्ठ 133 पर [illegible] "Every person who on 15.10.55 ([illegible] the Act) was a ~~tet~~ tenant of Khud[illegible] of a land other than grove land, ~~subject to conditions mentioned in Section-19 & Chapter IIIA~~ shall, as from 15.4.61, become Khatedar tenant of such land, subject to conditions

क्रमश: पृष्ठ- 6 पर---

उपखण्ड अधिकारी

[भरतपुर] राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

mentioned in section 19 & Chapter III A irrespective of fact as to whether his name was entered in annual register as a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land on 15.10.1955 or not, and he is not required to make any application u/s 19(2) to get a declaration of khatedari rights - Conferment of khatedari rights is automatic. 1983 WLN (U.C) 476 (HC) followed (Para 16 & 17)" यही मत RRD 1989 पृष्ठ-651, RRD 1990 पृष्ठ 629, RRD-2003 पृष्ठ-254 HC, RRD-2006 पृष्ठ-73 HC तथा RBJ 2001 पृष्ठ-435 में प्रतिपादित किया गया है। जो इस वाद पर पूरी तरह चस्पा होते हैं।

इस प्रकार उक्त विवेचना अनुसार विवादित आराजी पर वसीयत कर्ता श्री मनोहरी को, उक्तानुसार विवेचित भूमि के भाग पर 15.10.55 के पूर्व से कब्जा काश्त होना तथा तदनुसार उसे खातेदारी हक प्राप्त हो जाना और उसकी मृत्यु दिनांक 21.12.1996 के पश्चात वसीयत ग्रहीता वादीगण का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता है। अतः तनकी नं. 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी नं. 3

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पैरोकार सरकार का रखा है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण ने दावा दायर करने से पूर्व दिनांक 15.10.2008 को धारा 90(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा दायर करने की अनुमति देने की प्रार्थना की थी। जिसपर न्यायालय द्वारा दिनांक 15.10.2008 को दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी नं. 4 व 5

इन तनकीयात को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पैरोकार सरकार पर है। पत्रावली में उपल[illegible] के अवलोकन से विवादित आराजीयात के हाल खसरा [illegible], साविक रेकार्ड से प्रकृति: मिसल होता [illegible] कि [illegible] दावा साविक रेकार्ड के अभाव में काबिल [illegible] है, प्रमाणित नहीं होता है। जहाँ तक गैर खातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-39 के अनुसार वसीयत नहीं का प्रश्न है, इस बाबत

क्रमशः.. पृष्ठ-7 पर

[illegible] अधिकारी
[भरतपुर]

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

विस्तृत विवेचन तनकीह नं. 1 व 2 में किया जा चुका है कि वर्णित कार्त का विवादित आराजीयात पर 15.10.55 के पूर्व से कब्जा काश्तकारी मुस्तः की खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हो जाते हैं। अतः तनकीह नं. 4 व 5 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णीत की जाती हैं।

इस प्रकार उक्त समग्र विवेचन अनुसार तनकीयात नं. 1 व 2 वादीगण के पक्ष में तथा तनकीयात नं. 3, 4 व 5 प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णीत हुई हैं। अतः आदेश है कि—

दावा वादीगण, बहक वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादीगण को, ग्राम फतेहपुर कलां तहसील नगर की आराजी खसरा नं. $\frac{295}{0.70}$ का 13/45 का 1/2 हिस्सा, आ. ख. नं. $\frac{298}{0.39}$ का 16/55 का 1/2 हिस्सा, ख. नं. $\frac{299}{0.32}$ का 7/42 का 1/2 हिस्सा, ख. नं. $\frac{306}{0.28}$ का $\frac{12}{35}$ का 1/2 हिस्सा, ख. नं. $\frac{330}{0.57}$ का $\frac{27}{72}$ का 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा साथ ही उक्त भूमि से मनोहरी वल्द व्यासिया का नाम खारिज किया जाता है। इसी प्रकार नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.7.2013 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(घनश्याम अग्रवाल)

उपखण्ड अधिकारी नगर

नगर [भरतपुर] राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

27

डिक्री व मुकदमे इब्तदाईत्र
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

पीठासीन अधिकारी : घनश्याम अग्रवाल आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 231/08

निर्णय दिनांक : 30.7.2013

उनवान

1. प्रकाशचन्द
2. प्रेमचन्द
पिसरान - बच्चूलाल, जाति - ब्राह्मण, निवासी ग्राम फतेहपुर कलां, तहसील - नगर, वारिस काबिज जायदाद मनोहरी वल्द ग्यारसिया

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नगर

दावा डिक्लेरेशन कायमी काश्त खातेदारी व हुक्म इम्तनाई दवामी।
(आर.टी.एक्ट)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे बहाजरी श्री श्याम बाबू सैनी .... अभिभाषक मिनजानिब मुदई श्री पैरोकार नायब तहसील नगर मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीगण, बहक वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादीगण को, ग्राम- फतेहपुर कलाँ, तहसील - नगर की आराजी खसरा नम्बर 295/0.70 का 13/95 का 1/2 हिस्सा, आ० ख० नं० - 298/0.39 का 16/55 का 1/2 हिस्सा, आ० ख० नं० - 299/0.32 का 7/42 का 1/2 हिस्सा, ख० नं० - 306/0.28 का 12/35 का 1/2 हिस्सा, आ० ख० नं० 330/0.57 का 27/72 का 1/2 हिस्सा का खातेदार-काश्तकार घोषित किया जाता है तथा साथ ही इस भूमि से मनोहरी वल्द ग्यासिया का नाम कलमजन किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:11:34 IST
Reason: SelfAttested

बसबत मेरे दस्तखत ... 30.7.2013 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नगर – भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Scanned by CamScanner